



अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय: शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: www.abrsm.in

सरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 09880595357

ABRSM

अध्यक्ष

डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
(0141) 2785393, 09414023964

महामंत्री

प्रो. जगदीश प्रसाद सिंहल
(0141) 2503159, 09414068780

अति. महामंत्री

प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट
(0824) 2476141, 09448503090

संगठन मंत्री

महेन्द्र कपूर
09868711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री

ओमपाल सिंह
(0522) 2238794, 09415121329

उपाध्यक्ष

श्रीमती प्रियम्वदा सक्सेना (महाराष्ट्र)
09373302551

जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली)
09312115139

डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड)
(0657) 2363028, 09431750251

डॉ. निर्मला यादव (उत्तरप्रदेश)
09412169506

सचिव

श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक)
(080) 23466495, 09986832449

हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश)
(07420) 255591, 09425973461

मोहन पुरोहित (राजस्थान)
09829234345

डॉ. प्रणवेश शर्मा (गुजरात)
09879567178

संयुक्त सचिव

डॉ. सुदेश शर्मा (दिल्ली)
09911381781

श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तरप्रदेश)
09450488131

श्री पी. वेंकटराव (तेलंगाना)
09490149248

डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली)
09868877699

कोषाध्यक्ष

बजरंग प्रसाद मजेत्री (राजस्थान)
09460894708

आंतरिक अंकेक्षक

पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश)
09817399333

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी

महेन्द्र कुमार (उत्तरप्रदेश)
09415201262

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख

विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान)
09829113431

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख

एच. नामभूषण राव (कर्नाटक)
(080) 23466495, 09482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख

विजय सिंह (मध्यप्रदेश)
09425179729

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख

डॉ. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार)
09334306254

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान
जय भगवान गोयल (दिल्ली)
09868900310

समर्थ भारत

किशन लाल नाकड़ा (मध्यप्रदेश)
09826187811

पत्रांक: महि.संवर्ग 1/वि.सं. 2072

दिनांक: 8-07-2015

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को प्रेषित

शिक्षा नीति में महिला शिक्षा हेतु सुझाव

महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने का एकमात्र माध्यम केवल शिक्षा ही है। इस हेतु शिक्षा नीति के अंतर्गत महिला शिक्षा के संदर्भ में निम्न बिन्दु सम्मिलित किए जाने आवश्यक हैं:-

1. भारत की भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों में बालिकाओं को शिक्षा के लिए सह-शिक्षा (Co education) एवं दूरस्थ स्थानों (Remote areas) पर अध्ययन के लिए नहीं भेजा जाता है। अतः बालिका शिक्षा वृद्धि हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिका विद्यालय खोले जाएं।
2. बालिका विद्यालयों में नामांकन संख्या में वृद्धि व अधिकतम उपस्थिति के लिए पर्याप्त पानी एवं स्थायी प्रसाधन सुविधाओं को उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
3. छात्राएं भविष्य में आर्थिक रूप से सक्षम बनें इसके लिए घरेलू उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाए। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की परंपरागत हस्तकला तथा कुटिर उत्पादनों का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाए जो उन्हें स्वावलंबी बनाने में सहयोग करेगा।
4. महिला महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को व्यावसायिक दक्षता हेतु कम्प्यूटर शिक्षण, तकनीकी ज्ञान, सूचना एवं संचार माध्यमों व अन्य सभी तकनीकी क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
5. भूमंडलीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा में भारतीयता एवं राष्ट्रीयता को पुष्ट करने वाले बिन्दु पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाएं।
6. पाठ्यक्रम स्त्री-पुरुष समानता दर्शाने वाला हो।

उदाहरण: a) Sita is sweeping/Cooking (etc.)

b) Ram is studying/Playing (etc.)

इस प्रकार न हो।

7. पाठ्यक्रम में वीर तथा साहसी स्त्रियों के चरित्र अधिक मात्रा में समावेश किए जाएं। (पौराणिक, ऐतिहासिक एवं आधुनिक काल)

R. Seethalakshmi

(आर.सीता लक्ष्मी)

राष्ट्रीय सचिव (महिला संवर्ग)
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ